भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 926

गुरुवार, 27 जुलाई, 2023 को उत्तर देने के लिए

अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलना

926. श्री एस. कल्याणसुन्दरमः
श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्लाः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को निजी कंपनियों के लिए खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अंतरिक्ष प्रणालियों के निजीकरण और शस्त्रीकरण सहित भविष्य में संभावित सुरक्षा समस्याओं का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) जी हां, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की घोषणा के साथ, भारत का निजी क्षेत्र अंतरिक्ष गतिविधियों के दीर्घकालिक संस्थिरता के लिए अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास सहित आद्योपांत अंतरिक्ष संबंधी कार्यकलाप करने के लिए प्रोत्साहित हुआ है।

(ख) विभाग ने निजी क्षेत्र द्वारा प्रौद्योगिकी विकास के लिए कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं;

1. इन-स्पेस बीज निधि योजना
2. 100 प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु इसरो द्वारा अभिरुचि की अभिव्यक्ति
3. स्पेसटेक नवाचार तंत्र का सृजन (स्पिन)

(ग) एवं (घ)

जी हां, अंतरिक्ष विभाग, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, डी.पी.आई.आई.टी. दूरसंचार विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधित्व के साथ इन-स्पेस द्वारा अंतर मंत्रालयी समन्वयन स्थायी समिति (एस.सी.-आई.एम.सी.) का गठन किया गया है तथा गहन समीक्षा और जांच के उपरान्त अंतरिक्ष कार्यकलापों के लिए गैर-सरकारी उद्यमों को प्राधिकरण प्रदान किया गया है।

***